Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 158-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025 (BHADRA 19, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 सितम्बर, 2025

संख्या 20/10/1996–4जे०जे०(1).– हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 3 के उप–नियम (1) के खण्ड (x) के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम 39) की धारा 6 की उप–धारा (1) तथा उक्त नियमों के उप–नियम (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और पंजाब तथा हरियाणा सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या 20/10/1996–4जे०जे०(1), दिनांक 15 अक्तूबर, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 20/10/1996–4जे.जे.(1), दिनांक 15 अक्टूबर, 1997 में,–

(i) क्रम संख्या 10 तथा 11 और उनके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''10.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश–एवं–अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला।	सदस्य
11.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश–एवं–अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल।	सदस्य;

(ii) क्रम संख्या 13, 14 तथा 15 और उनके सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:–

''13.	निदेशक, महिला एवं बाल विकास, हरियाणा।	सदस्य
14.	निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा जाति कल्याण विभाग, हरियाणा।	सदस्य
15.	अध्यक्ष, विधि विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।	सदस्य

टिप्पणः– क्रम संख्या 10, 11, 13, 14 और 15 के सामने वर्णित नामनिर्दिष्ट सदस्यों के कार्यकाल की अवधि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 4 के अनुसार दो वर्ष होगी।''।

डॉ. सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 10th September, 2025

No. 20/10/1996-4JJ(1).— In exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act 39 of 1987) read with clause (x) of sub-rule (1) of rule 3 of the Haryana State Legal Service Authority Rules, 1996 and clause (c) of sub-section (2) of section 6 of the said Act read with sub-rule (2) of Rule-3 of said rules, the Governor of Haryana in consultation with the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Administration of Justice Department, Notification No. 20/10/1996-4JJ(1), dated the 15th October, 1997, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Administration of Justice Department, Notification No. 20/10/96-4JJ(I) dated 15th October, 1997,-

(i) for serial numbers 10 and 11 and entries there-against, the following serial numbers and entries there-against shall be substituted, namely:-

"10.	District & Sessions Judge-cum-Chairman, District Legal Services Authority, Ambala.	Member
11.	District & Sessions Judge-cum-Chairman, District Legal Services Authority, Karnal.	Member";

(ii) for serial numbers 13, 14 and 15 and entries there-against, the following serial numbers and entries there-against shall be substituted, namely:-

"13.	Director, Woman and Child Development Department, Haryana	Member
14.	Director, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department, Haryana	Member

15.	Chairman, Department of Law, Kurukshetra University, Kurukshetra	Member

Note: The term of nominated members mentioned against serial numbers 10, 11, 13, 14 and 15 shall be for a period of two years in terms of rule 4 of the Haryana State Legal Service Authority Rules, 1996.”.

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department.

12096—C.S.—H.G.P., Pkl.